योजना एवं विकास विभाग
एवं प्राप्ति शाखा
पत्र सं० 7585
दिनांक 3-7-25

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–16/2024 121 /पटना, दिनांकः– 02/07/25

कार्यालय आदेश

श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सिवान सम्प्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना के विरूद्ध अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्र दिनांक–29.10.2024 के साथ संलग्न महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–8374 दिनांक–15.10.2024 द्वारा आरोप पत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग अवाचार या कदाचार के लांछनों का सार एवं तृतीय भाग अवाचार के लांछनों का अभिकथन में श्री श्रीवास्तव द्वारा राजस्व जिला, सिवान अंतर्गत श्री प्रमोद कुमार, सहायक प्रबंधक से टी०पी०डी०एस० गोदाम के साथ–साथ सी०एम०आर० गोदाम का संचालन एक साथ कराकर निगम के द्वारा निर्गत निदेशों का अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1977 दिनांक–16.12.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र पर आरोपी कर्मी से अभ्यावेदन/अभिकथन की मांग की गयी। श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक–30.12.2024 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री श्रीवास्तव पर आर्थिक नुकसान, भ्रष्टाचार अथवा सरकारी राशि के गबन का कोई आरोप नहीं है लेकिन इनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरती गई है।

अतएव श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सिवान सम्प्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए इन्हें चेतावनी दी जाती है तथा इसकी प्रविष्टि इनकी सेवापुस्त में की जाय।

ह०/–

(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–08/2024 1118 /पटना, दिनांकः– 02/07/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्र दिनांक–29.10.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन, निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक–8374 दिनांक–15.10.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सिवान/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सिवान सम्प्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/25

निदेशक